आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

अधिहरण वाद संख्या :–223/2019

श्यामलाल

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची–14 संख्या फारम संख्या 563 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
08.06.2023	यह अधिहरण वाद समाहर्त्ता, वैशाली के अधिहरण वाद संख्या–280/18 में दिनांक–26.02.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता इस वाद के दायर करने की तिथि दिनांक 16.08.2019 के बाद की सभी तिथियों दिनांक–22.10.2019, 22.11.2019, 10.01.2020, 06.03.2020, 11.12.2020, 17.12.2020, 04.03.2021, 25.03.2021, 22.05.2023 एवं आज भी अनुपस्थित है। वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि यह वाद बिहार उत्पाद अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के वाद को पोषणीयता के बिन्दु पर खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद में अपीलकर्ता की लगातार अनुपस्थित से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाद में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। साथ ही विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आता है एवं ऐसे वादों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL